HP LASERJET FAX

पत्र संख्या- ए0-4-20/2007 - 119 वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक-04.01.2008

विषय- जन-निजी भागीदारी के माध्यम से आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति ।

जन-निजी भागीदारी के माध्यम से आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4308वि0(2) दिनांक-22.06.2007 द्वारा आदेश निर्गत किया गया था । उक्त संकल्प की कंडिका- 3.2 के क्रम संख्या-7 में 1000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं के संबंध में यह उल्लेख था कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा परियोजना विशेष के आधार पर इसकी स्वीकृति दी जाएगी ।

2. इस बीच पथ निर्माण विभाग द्वारा IDFC एवं IL&FS के सहयोग से 1000 करोड़ रूपये से अधिक की जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत परियोजनाओं के प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि 1000 करोड़ रूपये से 5000 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के लिये व्यवसायिक फीस प्रोजेक्ट लागत का 0.375 प्रतिशत (अधिकतम11.25 करोड़ रूपये) एवं सफलता फीस 0.375 प्रतिशत रखी जाय । यह दर तालिका अन्य slabs में घटते हुएं शुल्क दर के आधार पर ही है ।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 4308वि0(2) दिनांक 22.06.2007 की कंडिका-3.2 के क्रम संख्या-6 में 500-1000 करोड़ रूपये के slab में व्यवसायिक फीस 0.5 प्रतिशत (अधिकतम 2.5 करोड़ रूपये) निर्धारित की गयी है । इसमें अधिकतम फीस निर्धारित करने में चूक हो गई है क्योंकि 2.5 करोड़ रूपये slab की प्रारंभिक राशि का ही 0.5 प्रतिशत है । अतः अधिकतम राशि slab के मध्य राशि 750 करोड़ रूपये का 0.5 प्रतिशत अर्थात 3.75 करोड़ रूपये होनी चाहिए ।

4. अतः उपरोक्त के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4308वि0(2) दिनांक-22.06.2007 की कंडिका-3.2 निम्न प्रकार संशोधित की जाती है :-

क्रम सं.	अनुमानित प्रोजेक्ट लागत(रू0)	व्यवसायिक फीस (प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)	सफलता फीस (प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)	कुल फीस की रेंज(प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)
1	25 करोड़ या उससे कम	1.50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 0.25 करोड़)	1.50%	3.00-2.50%
2	25 करोड़ से अधिक लेकिन 50 करोड़ या उससे कम	1.25 प्रतिशत (अधिकतम 0.5 करोड़)	1.25%	2.50-2.25%
3	50 करोड़ से अधिक लेकिन 100 करोड़ या उससे कम	1.00 प्रतिशत (अधिकतम 0.75 करोड़)	1.00%	2.00-1.75%
4	100 करोड़ से अधिक लेकिन 200 करोड़ या उससे कम	0.8 प्रतिशत (अधिकतम 1.00 करोड़)	0.75%	1.55-1.25%
5	200 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ या उससे कम	0.6 प्रतिशत (अधिकतम 1.75 करोड़)	0.65%	1.25-1.00%
6	500 करोड़ से 1000 करोड़ तक	0.5 प्रतिशत (अधिकतम 3.75 करोड़)	0.50%	1.00-0.75%
7	1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक	0.375 प्रतिशत(अधिकतम 11.25 करोड़)	0.375%	0.75-0.60%
[illegible]	[illegible]	[illegible] अधिकतम [illegible] परियोजना विशेष के आधार पर अनुमोदन		

5. संकल्प संख्या 4308 वि0(2) दिनांक-22.06.07 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक --एम-4-20/2007 - 119 वि0(2) दिनांक - 04.01.2008

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक -एम-4-20/2007 - 119 वि0(2) , दिनांक - 04.01.2008

प्रतिलिपि - औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक -एम-4-20/2007 - 119 वि0(2) दिनांक - 04.01.2008

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव एवं सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)